

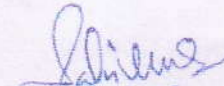
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट / प्रमाण पत्र

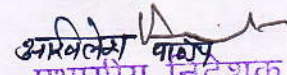
मैनपुरी रेंज

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद- भोगांव मार्ग एस.एच.-84 भोगांव से ईशन नदी पुल गोल चक्कर तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक भूमिगत गैस पाइप लाइन विछाये जाने का कार्य प्रस्तावित है प्रस्तावित स्थल का सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी की ओर से (श्री मोहन चन्द्र तिवारी) क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० की ओर से प्रातिनिधि श्री सचिन वर्मा, प्रबन्धक - परियोजना द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 26/02/2021..... किया गया है संयुक्त निरीक्षण में ले-आउट प्लान के आधार पर प्रभावित होने वाली भूमि **KM-49** से 54.00 तक की दाई पटरी की संरक्षित वन भूमि का आगणन किया गया जिसकी गणना अलग से संलग्न है प्रभावित वन भूमि 0.275 हैक्ठ की प्रयोक्ता एजेन्सी की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि गैस पाइप लाइन विछाये जाने पर संरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी वृक्ष विद्यमान/बाधक नहीं है तथा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम -1980 को कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है ।


(विपिन मिश्रा) 25/02/2021
क्षेत्रीय वन अधिकारी
भोगांव रेंज


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज मैनपुरी 26/02/2021


सचिन वर्मा
SACHIN VERMA
प्रबन्धक - परियोजना
Manager - Projects


अनुराग कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी 18/03/2021

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट / प्रमाण पत्र

भोगांव रेंज

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद- भोगांव मार्ग एस.एच.-84 भोगांव से ईशन नदी पुल गोल चक्कर तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक भूमिगत गैस पाइप लाइन विछाये जाने का कार्य प्रस्तावित है प्रस्तावित स्थल का सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी की ओर से (श्री विपिन मिश्रा) क्षेत्रीय वन अधिकारी भोगांव हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० की ओर से प्रातिनिधि श्री सचिन वर्मा, प्रबन्धक - परियोजना द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 25/03/2021 किया गया है संयुक्त निरीक्षण में ले-आउट प्लान के आधार पर प्रभावित होने वाली भूमि KM- 54 से 61.8 तक की दाई पटरी की संरक्षित वन भूमि का आगणन किया गया जिसकी गणना अलग से संलग्न है प्रभावित वन भूमि 0.429 हैक्ठ की प्रयोक्ता एजेन्सी की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि गैस पाइप लाइन विछाये जाने पर संरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी वृक्ष विद्धमान/बाधक नहीं है तथा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम -1980 को कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है ।



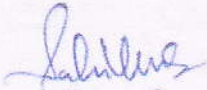
(विपिन मिश्रा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी

भोगांव रेंज 25/03/2021

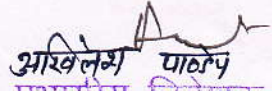


क्षेत्रीय वन अधिकारी

रेंज मैनपुरी 26/03/2021


सचिन वर्मा
SACHIN VERMA
प्रबन्धक - परियोजना
Manager - Projects

C-5


अरवि कुमार पाठक
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी 18/03/2021